रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2018/कार्तिक 24, 1940
No. 818] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1117(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 के संशोधन के विस्तार में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तिथि.**—(1) इन नियमों को पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में, नियम 3 में, उप नियम (2) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए इस प्रकार के जारीकरण के मामलों के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 की सदृश प्रविष्टियों में निर्दिष्ट क्षेत्रों सहित भारत में कहीं पर भी निवासरत व्यक्तियों द्वारा किए गए आवेदनों के संबंध में, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।"

[फा. सं. VI/401/1/8/2018]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव, (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

पाद टिप्पणी : पासपोर्ट नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 1980 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 339(अ), दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2018

G.S.R. 1117(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Passports (3rd Amendment) Rules, 2018.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, in rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substitued, namely:—

 "An officer referred to in column (2) of Schedule 1 shall, for the purpose of issue of a passport or travel document, exercise jurisdiction in respect of applications for such issue made by persons residing anywhere in India including the territories specified in the corresponding entries in column 3 of the said Schedule".

[F. No. VI/401/1/8/2018]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note : The Passports Rules, 1980 were published *vide* Notification number G.S.R. 691(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th December, 1980 and last amended *vide* Notification Number G.S.R. 339(E), dated the 06th April, 2018.

LegislativeCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.16 21:48:31 +05'30'